Proxy
Pl. upload on LSG website
26/3/18

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

टेली फेक्स :– 0141–2222403ए ई–मेल:– dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट :– WWW.lsg.urban.rajazsthan.gov.in

F.55/CE/DLB /Road repair/Restoration Work/2017-18/ 1194-1424 Date:- 23/3/2018

1. सम्भागीय आयुक्त (सम्बंधित)
2. जिला कलेक्टर्स (सम्बंधित)
3. आयुक्त, नगर निगम (सम्बंधित)
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका (सम्बंधित)

Received Today 26/3/18

विषय:– नगरीय निकाय क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण/मरम्मत कार्य करवाने बाबत।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 के बजट में की गई घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य के समस्त स्थानीय निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण/सुधार (Road Restoration) कार्य करवाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा निर्देश दिये गये है कि खराब/क्षतिग्ररत सड़कों का नगर निकाय स्तर पर आकलन किया जावे एवं इन क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति में अविलम्ब सुधार/मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Renovation) कार्य आवश्यक रूप से करवाये जावें। उक्त सड़क कार्यो के लिए स्वायत्त शासन विभाग को प्रशासनिक विभाग एवं रूडसिको को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया गया था। सड़क निर्माण/सड़क रिपेयर/पुनर्रूद्धार कार्य हेतु स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 2846–3076 दिनांक 13.10.2017 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश किये गये थे।

रूडसिको द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 2846–3676 दिनांक 13.10.2017 एवं 3428 दिनांक 23.10.2017 के अनुसरण में निविदाएँ सम्बंधी कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम समस्त 191 स्थानीय निकायों के लिए 19 बडे साइज के पैकेज (रू0 40 करोड़ से रू0 60 करोड़) बनाये जा कर निविदाएँ आमंत्रित की गई, जिसके तहत 3 पैकेज में 29 स्थानीय निकायो (पैकेज 1 के अन्तर्गत उदयपुर एवं राजसमन्द जिलो की 9 स्थानीय निकायों, पैकेज 11 के तहत नागौर जिले की 11 स्थानीय निकायों एवं पैकेज 16 के अन्तर्गत जयपुर जिले की 9 स्थानीय निकायों) को दिनांक 12.02.2018 को LoI (Letter of Intent) जारी किए गए।

बड़े साइज के पैकेजो में निविदाताओं की सीमित संख्या एवं कमजोर प्रतिभागिता को देखते हुए, मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.02.2018 को आयोजित बैठक में ULB Wise अल्पकालीन निविदांऐ आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय की अनुपालना में रूडसिको द्वारा 162 पैकेज (154 स्थानीय निकाय एवं 8 जोन, नगर निगम जयपुर) हेतु निविदाएँ आमंत्रित की गई। इसके अतिरिक्त 8 स्थानीय निकायों की निविदाएँ जारी नहीं की गई है, जिनमें 6 स्थानीय निकायों (जैतारण, चिडावा, खेतडी, मंडावा, चोमू एवं झुन्झूनू) का प्रस्ताव प्राप्त ना होने के कारण एवं 2 स्थानीय निकायों (बिदासर एवं बग्गड़) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती प्राप्त ना होने के कारण।

162 पैकेजो की निविदाएँ दिनांक 06.03.2018, 09.03.2018 एवं 14.03.2018 को प्राप्त कर ऑनलाईन खोली गयी। 162 पैकेजो में से 117 में निविदाए प्राप्त हुई जिनका तकनीकी मूल्यांकन सम्बंधित नोडल अधिकारीयों द्वारा किया जा रहा है एवं मूल्याकंन सम्बंधित प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूर्ण होने की सम्भावना है। 162 कार्यो में से 45 कार्यो की निविदा प्राप्त नहीं हुई एवं 3 कार्यो में तकनीकी मूल्यांकन में योग्य निविदाता न पाए जाने के कारण पुनः निविदाएँ आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की जानी है। इस प्रकार कुल 48 कार्यो की निम्न तालिकानुसार निविदाएँ पुनः आमंत्रित की जानी है।

Scanned by CamScanner

क्र.स.	जिलो के नाम	पैकेज न.	स्थानीय निकायों के नाम
1.	नगर निगम जयपुर	RUDSICO/RJ/14	सिवील लाईन जोन, नगर निगम, जयपुर
2.		RUDSICO/RJ/15	हवामहल ईस्ट, नगर निगम, जयपुर
3.		RUDSICO/RJ/19	हवामहल वेस्ट, नगर निगम, जयपुर
4.		RUDSICO/RJ/20	आमेर जोन, नगर निगम, जयपुर
5.	सीकर	RUDSICO/RJ/3	नगर पालिका, फतेहपुरशेखावाटी
6.	झुन्झूनू	RUDSICO/RJ/9	नगर पालिका, बीसाउ
7.		RUDSICO/RJ/11	नगर पालिका, उदयपुर वाटी
8.	दौसा	RUDSICO/RJ/29	नगर पालिका, लालसोट
9.		RUDSICO/RJ/30	नगर पालिका, महुआ
10.	अलवर	RUDSICO/RJ/64	नगर पालिका, बहरोर
11.		RUDSICO/RJ/65	नगर परिषद, भिवाड़ी
12.		RUDSICO/RJ/68	नगर पालिका, खेरली
13.	बाड़मेर	RUDSICO/RJ/44	नगर परिषद, बाड़मेर
14.	पाली	RUDSICO/RJ/54	नगर पालिका, बाली
15.		RUDSICO/RJ/110	नगर पालिका, सोजत
16.	सिरौही	RUDSICO/RJ/80	नगर पालिका, माउन्टआबू
17.		RUDSICO/RJ/53	नगर पालिका, आबू रोड़
18.	जालौर	RUDSICO/RJ/58	नगर परिषद, जालौर
19.	बीकानेर	RUDSICO/RJ/47	नगर पालिका, श्री डुंगरगड़
20.	चुरू	RUDSICO/RJ/39	नगर पालिका, राजलदेसर
21.		RUDSICO/RJ/75	नगर पालिका, रतनगड़
22.		RUDSICO/RJ/117	नगर पालिका, राजगढ़ (चुरू)
23.		RUDSICO/RJ/121	नगर पालिका, सरदारशहर
24.	श्रीगंगानगर	RUDSICO/RJ/86	नगर पालिका, अनुपगड़
25.		RUDSICO/RJ/123	नगर पालिका, श्रीगंगानगर
26.		RUDSICO/RJ/125	नगर पालिका, श्रीगंगानगर
27.		RUDSICO/RJ/82	नगर पालिका, सुरतगढ़
28.	अजमेर	RUDSICO/RJ/1	नगर पालिका, नसीराबाद
29.		RUDSICO/RJ/52	नगर पालिका, विजयनगर
30.		RUDSICO/RJ/106	नगर परिषद, किशनगढ़
31.		RUDSICO/RJ/83	नगर निगम, अजमेर
32.	भीलवाड़ा	RUDSICO/RJ/138	नगर पालिका, मण्डलगड़
33.		RUDSICO/RJ/129	नगर पालिका, आसीन्द
34.		RUDSICO/RJ/98	नगर पालिका, गुलाबपुरा
35.	टोंक	RUDSICO/RJ/22	नगर पालिका, टोड़रायसिंह
36.		RUDSICO/RJ/23	नगर पालिका, देवली

Scanned by CamScanner

37.		RUDSICO/RJ/122	नगर पालिका, शाहपुरा
38.		RUDSICO/RJ/25	नगर पालिका, उनियारा
39.	कोटा	RUDSICO/RJ/41	नगर पालिका, खेथून
40.	झालावाड़	RUDSICO/RJ/102	नगर पालिका, झालावाड़
41.		RUDSICO/RJ/103	नगर परिषद, झालरापाटन
42.		RUDSICO/RJ/49	नगर पालिका, पीरावा
43.	बारां	RUDSICO/RJ/87	नगर परिषद, बारां
44.	करौली	RUDSICO/RJ/28	नगर परिषद, करौली
45.	भरतपुर	RUDSICO/RJ/38	नगर पालिका, कुम्हेर
46.		RUDSICO/RJ/69	नगर पालिका, नन्दबई
47.		RUDSICO/RJ/70	नगर पालिका, नगर
48.		RUDSICO/RJ/95	नगर पालिका, डीग

उक्त 48 नगर निकायों के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर यह निर्णय हुआ है की नगर निकाय द्वारा अपने स्तर पर निविदाएँ आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए सुनिश्चित करे:—

1. उपरोक्त कार्यो की अल्पकालीन निविदाएँ तुरन्त जारी करने हेतु रूडसिको द्वारा पूर्व में जारी की गई निविदाओं की प्रति प्राप्त कर एवं यथोचित संशोधित कर RTPP act 2012 एवं 2013 की पालना करते हुए ऑनलाईन निविदाएँ जारी की जाए।
2. कार्य स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती आदेश क्रमांक 20677 दिनांक 08.11.2017 एवं 28399—428 दिनांक 20.02.2018 एवं रूडसिको द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृती आदेश क्रमांक 2088 दिनांक 28.02.2018 में दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार ही कराये जावें।
3. कार्यो की सूची में आंशिक संशोधन बहुत आवश्यकता होने पर ही स्थानीय विधायक व पालिका बोर्ड के पदाधिकारीयों की संयुक्त सहमती से ही करवाया जावें। सम्बंधित अधीशाषी अभियन्ता या उनसे वरिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा उपरोक्त कार्यो की तकनीकी स्वीकृती जारी करवायी जाने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जावें।
4. समस्त कार्यो का Defect liability period 3 साल रखी जावें।
5. कार्यो की अल्पकालीन ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जावें एवं कार्यो की समय अवधि 4 माह रखी जाए। समस्त कार्य 31.08.2018 तक पूर्ण कराये जाना सुनिश्चित करें।
6. इन कार्यो की राशि राज्य सरकार/रूडसिको द्वारा नगर निकायों को RTGS के द्वारा हस्तांतरीत की जावेगी अतः समस्त नगर निकाय Dedicated बैंक खाता खुलवाना सुनिश्चित करें। उक्त राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य/प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सकेगा।
7. नगर निकायों में सड़क निर्माण व मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Renovation) कार्यो के तकनीकी मापदण्ड़ानुसार निरीक्षण करने हेतु स्थानीय निकाय द्वारा तृतीय पक्ष (Third Party) नियुक्त किया जावें।
8. सड़क निर्माण व मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Renovation) कार्य से संबंधित सूचनाओं को ऑनलाईन करने के लिये स्थानीय निकाय द्वारा Webportal/App तैयार किया जावें। नगर निकायों द्वारा उक्त Webportal/App पर सड़क निर्माण/रिपेयर से संबंधित सूचनायें अपलोड़ की जावें। नई संड़क एवं रिकॉरपेटिंग सड़को की geo tagging की जावें।

Scanned by CamScanner

9. 6 स्थानीय निकाय (जैतारण, चिड़ावा, खेतड़ी, मंडावा, चौमू एवं झुन्झूनू) जिनके द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए एवं 2 स्थानीय निकाय (बग्गड़ एवं बीदासर) जिनकी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है, नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती अनुसार अपने स्तर पर निविदा आमंत्रित करने हेतु अधिकृत है। इसके अलावा रूडसिको द्वारा प्रक्रियाधीन निविदाओं में मूल्याकंन सम्बंधी प्रक्रिया के दौरान/उपरान्त असफल होने की अवस्था में रूडसिको द्वारा प्रदत जानकारी प्रदान करने के उपरान्त स्थानीय निकाय स्वंय के स्तर पर निविदाएँ आमंत्रित कर सकेंगे।

10. निविदा सम्बंधी कार्यवाही के लिए निम्नानुसार तिथियॉ निर्धारित की जाती है:–

क्र.स.	किया जाने वाला कार्य	दिनांक
1.	स्थानीय निकाय स्तर पर निविदा सूचना जारी करना	02.04.2018
2.	ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदाये प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	19.04.2018
3.	भौतिक दस्तावेज प्राप्त करने की तिथि एवं ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल प्राप्त तकनीकी बिड़ को खोलने की तिथि	20.04.2018, 2:00 बजे एवं 20.04.2018, 3:00 बजे
4.	प्राप्त तकनीकी बिड़ का मूल्यांकन करना	24.04.2018
5.	तकनीकी रूप से योग्य पाये गये बिड़र्स की वित्तीय बिड़ खोलना	26.04.2018
6.	यदि आवश्यक हो, तो प्राप्त दरों के सम्बन्ध में न्यूनतम निविदादाता से नेगोसियेशन करना	30.04.2018
7.	प्राप्त निविदाओं को स्वीकृत कर कार्यादेश जारी करना।	01.05.2018
8.	सड़क निर्माण एंव सुधार/मरम्मत/पेच रिपेयर/ पुनरूद्धार (Renovation) कार्यो को पूर्ण करना	31.08.2018

यह आदेश समस्त नगरीय निकायों पर तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ मनजीत सिंह) 23/3/18
अतिरिक्त मुख्य सचिव

F.55/CE/DLB/Road repair/Restoration Work/2017-18/ 1425-1779
Date:- 23/03/2018

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (जिला प्रभारी सचिव),शासन सचिवालय, जयपुर।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
11. आयुक्त, जयपुर/जौधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर जौधपुर अजमेर।

Scanned by CamScanner

12. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. परियोजना निदेशक, ~~रूप्यद~~ जवाहर सर्किल जयपुर।
14. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, लालकोठी स्कीम,जयपुर।
15. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–I,II&III), नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
19. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर।
20. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
21. मुख्य अभियन्ता (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
22. मुख्य अभियन्ता (शहर), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग जयपुर।
23. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, समस्त नगर निगम (सम्भाग प्रभारी) राजस्थान।
24. अधिशाषी अभियन्ता, सम्बन्धित नगर निगम/परिषद (जिला मुख्यालय), समस्त राजस्थान।
25. सुरक्षित पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner